(50)

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांकः– 290 / DLRC-2021 दिनांकः–01/3/2021

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 01-3-21 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–221/2013 के अन्तर्गत **जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला II से पीपलसार तक भूड** से तक मोटर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु **3.9550 हैक्टेयर आरक्षित वन** भूमि वन विभाग से लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति–विकासनगर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी–विकासनगर की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त **3.9550 हैक्टेयर** आरक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के लांघा रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी– विकासनगर की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून। जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण, वन प्रभाग कालसी	जिलाधिकारी, देहरादून। जिलाधिकारी देहरादून।

पृ0स0 / **दिनांक**

प्रतिलिपिः–

1 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून

जिलाधिकारी,
देहरादून।

(81)

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No...290/DLRC-2021 Dated...01-3-21

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act,2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that **3.9550** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Work Department Uttarakhand** for New **Road Construction in Dehradun** district falls within jurisdiction of **Aamwala, Mallawala and Pipalsar** Village in **Viksasnagar tehsil.**

It is further certificated that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **3.9550** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....

(b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
देहरादून।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – DEHRADUN (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashish Kumar Srivastava , I.A.S. District Magistrate on Dated 01.3.21 at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in Mail area measuring **3.9550 Hect** for the Construction of **Construction of Proposed motor road from Majra (Harijanbasti) Aamwala, Mallawala of Village panchayat Pashta to Pipalsar from Bhood** Motor Road under P.W.D. of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of **Vikasnagar** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:

Dated:

DistrictMagistrate
District level Committee

जिलाधिकारी
देहरादून

53

प्रपत्र–23.3

कार्य का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–221/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला ॥ से पीपलसार तक भूड से सडक का नव निमार्ण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई – 6.500 किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–221/2013 के अन्तर्गत **जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला ॥ से पीपलसार तक भूड** से नवनिर्माण हेतु **3.9550 है0** वनभूमि लोक निर्माण विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिनियम–2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

ह0.................................
जिलाधिकारी, देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून।

(54)

परियोजना का नाम – **माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–221/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला II, I से पीपलसार तक भूड से 06 किमी0 सड़क का नव निर्माण।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी–विकासनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–221/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला II, I से **पीपलसार तक भूड से 06 किमी0 सड़क के नव निर्माण** हेतु आरक्षित वनभूमि 3.9550 **हे0**, सिविल सोयम भूमि 0.00 **हे0**, वन पंचायत भूमि 0.00 **हे0**) अर्थात कुल 3.9550 **हे0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–विकासनग) की दिनांक 31/1/20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन वासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष
2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य
3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य
4– श्री रजनी बाला बी0डी0सी0 क्षेत्र .... सदस्य।

उपजिलाधिकारी विकासनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी उप वन प्रभाग

सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि0ख0–विकासनगर

क्षेत्र पंचायत सदस्य ढलानी–पष्टा वि0ख0 विकासनगर (देहरादून)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–221/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला II, I से पीपलसार तक भूड से 06 किमी0 सड़क के नव निर्माण** कार्य परियोजना हेतु 3.9550 हे0 वन भूमि (3.9550 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि एवं 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) लोक निर्माण विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी उप वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड विकासनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत **माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–221/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला II, I से पीपलसार तक भूड से 06 किमी0 सड़क के नव निर्माण** कार्य परियोजना हेतु 3.9550 हे0 वन भूमि (3.9550 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि एवं 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) लोक निर्माण विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–विकासनगर,
जनपद–देहरादून

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–विकासनगर,
जनपद–देहरादून

(56)

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं–221/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला II, I से पीपलसार तक भूड से 6 किमी0 सडक का नव निर्माण।

(लम्बाई–6.50 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– पष्टा की आमवाला, मल्लावाला II, I

तहसील– विकासनगर जिला देहरादून

मानमीय मुख्यमंत्री घोषणा सं–221/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला II, I से पीपलसार तक भूड से 6 किमी0 सडक नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 3.9550 है0, सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात कुल वन भूमि 3.9550 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पष्टा की **आमवाला, मल्लावाला** II, I द्वारा दिनांक 22/07/2020 .... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **आमवाला, मल्लावाला** II, I के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम सचिव
विकासनगर

ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत पष्टा
पंचायती राज
वि0ख0 विकासनगर (देहरादून)
22/07/2020

57

प्रपत्र–23.1

दिनांक 22/07/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– पछ्वा की आमवाला, मल्लावाला II, I

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री बनारसी	Banarsi
2	" सोहनसिंह	Sohan
3	" अमित	अमित
4	" त्रिलोकपाल सिंह	त्रिलोकपाल सिंह
5	" कलीराम	कलीराम
6	" ज्ञानसिंह	ज्ञानसिंह
7	" यशपाल सिंह	यशपाल सिंह
8	" रामपाल सिंह	राजपाल
9	" बाबूसिंह	बाबूसिंह
10	" सुरेश कुमार	सुरेश कुमार
11	" कैलाश कुमार	कैलाश कुमार
12	" मोहनलाल	मोहनलाल
13	" गुलाब सिंह	गुलाबसिंह
14	" संतराम	सन्तराम
15	" पूरणसिंह	पूरन सिंह
16	" सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्रसिंह
17	" रमेश कुमार	राजेश कुमार
18	" भरत सिंह	भरत सिंह
19	" मुस्कु राम	मुस्कुराम
20	" मुकेश कुमार	मुकेश कुमार
21	सिकन्दर सिंह	सिकन्दरसिंह
22	सुरेश कुमार	सुरेश कुमार
23	धान्दु राम	धान्दुराम
24	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र सिंह
25	बाबुराम	बाबूराम
26	सचिन	सचिन
27	रामसिंह	राम सिंह
28		[illegible]

P.T.O

दीपक
आनंद सिंह
महेन्द्र सिंह
संदीप

दीपक
आनंदसिंह
महेन्द्र सिंह
संदीप